



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

अनामिका सहाय

उ०म०वि० हीरानंदपुर, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP001

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राजन कुमार

म०वि० खोखना, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP002

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राहुल कुमार

प्रा०वि० सकुलपुर, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP003

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राजेश कुमार रोहन

म०वि० सोनवाँ, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशासित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP004

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राकेश रंजन

प्रा०वि० बडी पहाडी, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP005

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

- उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
- यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राजेश कुमार

म०वि० पहाडी, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP006

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

- उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
- यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

शिवा प्रिया

उ०म०वि० फतेहपुर, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP007

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राजेश कुमार सिन्हा

उ०म०वि० फतेहपुर, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP008

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

अनिता सिन्हा

म०वि० कोठिया, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP009

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

नीतू सिन्हा

म०वि० रायबाग, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP010

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

- उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
- यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

अनिता सिंह

म०वि० रायबाग, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवारड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP011

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

- उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवारड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवारड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवारड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवारड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवारड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवारड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
- यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवारड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

नीतेश प्रकाश

प्रा०वि० ज्ञानचक्र, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP012

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राकेश रोशन

म०वि० पुनाडीह, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP013

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

सीमा कुमारी

उ०म०वि० खासपुर, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP014

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

- उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
- यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

दीपक कुमार

प्रा०वि० रानीपुर के चक, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP015

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

- उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
- यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

रौशन कुमार

प्रा०वि० रसूलपुर सोनवाँ, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP016

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

राहुल कुमार

प्रा०वि० मुन्नाचक, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP017

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 / 2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

मो० शमशाद आलम

रा० बुनियादी वि० सदाकत आश्रम

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP018

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अवार्ड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अवार्ड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अवार्ड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अवार्ड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

मो० कामरान अहमद

श्री चन्द्र म०वि० कुर्जा, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशासित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP019

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अर्वाड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अर्वाड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अर्वाड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



पत्रांक : टी0टी0प्रे0 .165 /2024, पटना, दिनांक : 06/04/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

MPP (Marks Posting Personnel) का नियुक्ति-पत्र

सेवा में,

अखिलेश्वर प्रसाद सिंह

प्रा०वि० देवाराम के चक, पटना

सूचित करना है कि निदेशानुसार सूचित करना है कि डी०एल०एड० पुराने पाठ्यक्रम (विशेष) परीक्षा, 2024 की व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 09.04.2024 से 10.04.2024 तक पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 5:30 तक संचालित होगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर देने के उपरांत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों को अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर एवं कार्यालय प्रति में प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसित सूची से आपकी नियुक्ति MPP (Marks Posting Personnel) के रूप में करते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किया जा रहा है। जिस मूल्यांकन केन्द्र के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है, उसका कोड एवं नाम निम्नवत् है :-

MPP कोड संख्या :- 71MPP020

मूल्यांकन केन्द्र कोड एवं नाम :- 101, B.N. Collegiate School

मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश का समय : 9:00 बजे पूर्वाह्न एवं मूल्यांकन अविध पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के निहित प्रावधानों के तहत आपको यह कार्य सौंपा गया है। निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और योगदान नहीं करने की स्थिति में इसकी सूचना तत्क्षण पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरी को कारण सहित देंगे। यदि एक से अधिक नियुक्ति पत्र मिले तो एक ही स्वीकार करें, दूसरे को वापस कर दें। यदि उक्त परीक्षा में आपका कोई निकट सम्बन्धी (पुत्र/पुत्री/भाई/बहन आदि) शामिल हुए हों, तो इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक (विविध) के ई-मेल आई0डी0-coevividhbseb@gmail.com पर तुरन्त भेज दें।

MPP (Marks Posting Personnel) के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में MPP द्वारा नहीं किया जाएगा। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत उ०पु० में प्रदत्त अंक के आधार पर उ०पु० के मुख पृष्ठ के मध्य भाग में स्थित अर्वाड-शीट में अन्य विवरणी अंकित करते हुए संगत ओ0एम0आर0 आधारित गोलकों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक MPP भरेंगे। साथ ही अर्वाड शीट से संबंधित उत्तरपुस्तिका के बायें भाग में भी MPP का हस्ताक्षर एवं कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत उत्तरपुस्तिका में अंकित बारकोड संख्या के अनुरूप मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड संख्या के सामने सावधानीपूर्वक अंकों की प्रविष्टि करते हुए निर्धारित स्थान में अपना MPP कोड अनिवार्य रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। रंजित किये हुए अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति संबंधित सह-परीक्षक के पास जमा कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अर्वाड शीट एवं मार्क्स फॉयल की कम्प्यूटर व कार्यालय प्रति में संगत गोलकों को प्रगाढ़ करने एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर वांछित विवरणी अंकित करने के मद में उन्हें प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 2.50 (दो रूपये पचास पैसे मात्र) की दर से पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल में प्रविष्टि किये गये/भरे गये प्राप्तांकों को सूचना का अधिकार, माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनरावलोकन करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंकों की प्रविष्टि तथा संगत गोलों को काले/नीले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरें, ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जाँच करने पर आपकी योग्यता एवं कार्य पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न नहीं हो।
3. यह एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है। सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा उ०पु० में प्रदत्त अंक के अनुरूप अर्वाड शीट तथा मार्क्स फॉयल में अंक प्रविष्टि नहीं करना, कम अंक प्रविष्टि करना या अधिक अंक प्रविष्टि करना अनियमित कार्य माना जाएगा और यह प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. अपने पदस्थापित संस्थान के प्रधान से नियुक्ति पत्र पर अद्यतन सत्यापित फोटो चिपका कर विरमन पत्र प्राप्त कर ही मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करें अन्यथा आपका योगदान अमान्य कर दिया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्ति पत्र, विरमन पत्र आदि के अलावा कोई अन्य कागजात लाना/मोबाईल फोन लाना/उपयोग करना वर्जित एवं दंडनीय है।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान करने की तिथि से विरमित होने की तिथि तक प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति केन्द्र निदेशक के पास उपलब्ध कम्प्यूटर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायेंगे। कम्प्यूटर में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा।
6. अंकनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त उनके अवार्ड शीट तथा मार्क्स पवॉयल की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह परमावश्यक है कि उ0पु0 में सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक के अनुसार ही अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंकों की प्रविष्टि सही-सही हो। इसलिए इस कार्य में विशेष निगरानी/सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक सह-परीक्षक/प्रधान परीक्षक द्वारा प्रत्येक उ0पु0 में प्रदत्त अंकों के अनुरूप अवार्ड शीट एवं मार्क्स पवॉयल में अंको की प्रविष्टि नहीं करने या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने की पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
8. MPP (Marks Posting Personnel) के अल्पाहार की व्यवस्था, उनके पदस्थापन स्थान से मूल्यांकन केन्द्र पर जाने-आने तथा मूल्यांकन अवधि तक ठहरने के लिए यात्रा व ठहराव भत्ता नियमानुसार मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा देय होगा। आठ किलोमीटर की परिधि से आने-जाने वाले MPP को यात्रा व ठहराव भत्ता देय नहीं होगा, बल्कि उन्हें केवल सवारी भत्ता देय होगा।
9. केवल वही MPP (Marks Posting Personnel) संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया है।
10. MPP (Marks Posting Personnel) को केवल पारिश्रमिक की राशि का भुगतान समिति स्तर से सीधे ऑनलाईन उनके बैंक खाता में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा (Branch) का विवरण अनिवार्य रूप से मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को उपलब्ध करा देंगे। उन्हें अन्य मदों की अनुमान्य राशि का भुगतान मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के द्वारा समिति से उन्हें भेजी गई राशि से किया जाएगा।

Kesin
6/4/24

परीक्षा नियंत्रक (वावध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।